रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I —खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 165] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 26, 1970/आश्विन 4, 1892

No. 165] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 26, 1970/ASVINA 4, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जासके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

### PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

*New Delhi, the 26th September 1970*

SUBJECT:—*Import Policy for Registered Exporters for the year 1970-71 (Amendment No. 39)*

**No. 150-ITC(PN)/70.**—Attention is invited to the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure 1970, published under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 66-ITC(PN)/70, dated 4-5-1970.

2. After declaration (ii) given at the end of page 342 of the said Hand Book, the following may be added:—

"(iii) I/We declare that the exports have been made at a price not less than the minimum floor price fixed by the registering authority."

## विदेश व्यापार मंत्रालय

## सार्वजनिक सूचनाएं

## आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1970

**विषय:**—पंजीकृत निर्यातकों के लिए वर्ष 1970–71 के लिए आयात-नीति (संशोधन संख्या 39)

**सं० 150-आई०टी०सी० (पी०एन०)/70.** —विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 66–आईटीसी (पीएन)/70, दिनांक 4–5–1970 के अन्तर्गत प्रकाशित आयात व्यापार नियंत्रण नीति नियम तथा कार्यविधि पुस्तक (हैंडबुक), 1970 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उक्त पुस्तक (हैंडबुक) के पृष्ठ 342 के अन्त में दी गई घोषणा (2) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए:—

"(iii) मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि जिस मूल्य पर निर्यात किया गया है, वह मूल्य पंजीकरण करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्थिर किए गए निम्नतम मूल्य से कम नहीं है।

SUBJECT:— *Import Policy for Registered Exporters for the Year 1970—March 1971 (Amendment No. 40)*

**No. 151-ITC(PN)/70.**—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book for the year April 1970—March 1971, issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 48(ITC)(PN)70 dated the 31st March 1970 as amended from time to time.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

| Page No. of the Red Book (Vol. II) | Reference | Amendments |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 210 | S.1<br>Col. 2 | The existing description of the export products appearing at S. No. S.1 may be amended to read as:—<br>"Processed or Polished pearls (Real or Cultured)". |
| | S.1<br>Col. 3 | Substitute 65% for existing 70% |
| | S.1<br>Col. 5 | Following may be inserted as Remark No. (1):—<br>"Within the value limit of 5% indicated in Col. 4 replenishment of diamonds uncut and unset will be allowed only through release orders on NMDC Ltd. Direct imports however may be allowed in respect of items other than diamonds uncut and unset." |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 210 | S.2<br>Col. 3 | Substitute 65% for existing 70% |
| 210 | S.2<br>Col. 5 | Following may be inserted as Remark No. (1):—<br>"Out of the total replenishment of 65% of the fob export value registered exporters may be allowed to import direct upto 55%, of the fob value and the remaining 10% will be through release orders on NMDC. In the event of non-availability certificate from NMDC, the exporter may be allowed to import direct to the extent of full value. |
| 210 | S.3<br>Col. 3 | Substitute 65% for existing 70% |
| 210 | S.3<br>Col. 5] | Following may be inserted as remark No. (1): —<br>1. "Within the value limit of 5% indicated in Col. 4 replenishment of diamonds uncut and unset will be allowed only through release orders on NMDC Ltd. In the case of items at (c) in Col. 4, however, direct imports may be allowed. |
| 211 | S.4<br>Col. 5 | Existing remark at (4) may de substituted by the following:—<br>4. Replenishment within the value limits indicated in Col. of rough diamonds unset or uncut, precious/semi-precious stone unset real or cultured pearls unset will be allowed only if the jewellery exported contained diamonds, precious or semi precious stones and pearls respectively. In such cases, face value restriction of 50% will apply in respect of each individual component. Where jewellery contained only any one of thes items namely diamonds or precious stones/semi precious stone or real/cultured pearls then face value restriction will not apply Replenishment o diamonds uncut and unset will be allowes only through the release orders on NMDC Ltd. As for other items, direct imports may be allowed." |
| 213 | SS.1 to SS4<br>Col. 5 | Following remark may be added as No. (8):—<br>8. Replenishment of diamonds uncut and unset to the extent permitted as per remarks No. 4 will be only through release orders on NMDC Ltd. and not by direct imports. The other permissible items however may be allowed to be imported directly. |

N.B.: (1) These amendments will apply to all exports, payment for which is realized on or after 1-10-1970.

(2) In the event of non-availability certificate from NMDC for the purpose of release of diamonds uncut and unset direct import of the material to the permissible extent may be allowed.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय:—अप्रैल, 1970–मार्च, 1971 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात-नीति ।

**सं० 151-आई०टी०सी० (पी०एन०)]70.**—अप्रैल 1970—मार्च' 71 वर्ष के लिए आयात-व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक का वालुम दो जो विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 48-आई०टी०सी०–पी०एन०/70 के अन्तर्गत जारी किया गया था, उसमें पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति, जो समय समय पर संशोधित की गई है, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थलों में किए जाएं :—

| रैडबुक (वालुम 2) की पृष्ठ संख्या | संदर्भ | संशोधन |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 210 | एस० 1<br>———<br>कालम 2 | क्रम संख्या 1 पर की निर्यात उत्पादों के वर्तमान विवरण को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए:—<br><br>"वर्तमान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें:–<br><br>"संशोधित या चमकीले मोती (वास्तविक या संवर्द्धित (कल्चर्ड)" |
| | एस० 1<br>———<br>कालम 3 | 'वर्तमान 70 प्रतिशत के स्थान पर 65 प्रतिशत रखें । |
| | एस० 1<br>———<br>कालम 5 | निम्नलिखित टिप्पणी को संख्या (1) के रूप में शामिल किया जाए:—<br><br>"कालम 4 में संकेतित 5 प्रतिशत के सीमा मूल्य के भीतर बिना तराशे और अजड़ाऊ हीरों की पुनः पूर्ति की स्वीकृति केवल एन एम डी सी लि० के बंटन आदेश पर उसके माध्यम से ही दी जाएगी । लेकिन, बिना तराशे और अजड़ाऊ हीरों के अतिरिक्त अन्य मदों के मामले में सीधे आयात की स्वीकृति दी जा सकती है ।" |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 210 | एस ० 2<br>कालम 3 | वर्तमान 70 प्रतिशत के स्थान पर 65 प्रतिशत रखें । |
| 210 | एस ० 2<br>कालम 5 | निम्नलिखित को टिप्पणी संख्या (1) के रूप में शामिल किया जा सकता है:—<br>"जहाज पर्यन्त नि:शुल्क आयात मूल्य के 65 प्रतिशत की कुल पुन: पूर्ति में पंजीकृत निर्यातकों को जहाज पर्यन्त नि:शुल्क आयात मूल्य के 55 प्रतिशत तक को सीधे आयात करने की स्वीकृति दी जाएगी और शेष 10 प्रतिशत एन एम डी सी के बंटन आदेश पर उसके माध्यम से होगा । एम एम डी सी से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की स्थिति में, निर्यातक को पूरे मूल्य तक के लिए सीधे आयात करने के लिए स्वीकृति दी जा सकती है ।" |
| 210 | एस ० 3<br>कालम 3 | वर्तमान 70 प्रतिशत के स्थान पर 65 प्रतिशत रखें । |
| 210 | एस ० 3<br>कालम 5 | निम्नलिखित को टिप्पणी (1) के रूप में शामिल किया जाए:—<br>1. "कालम 4 में संकेतित 5 प्रतिशत के सीमा-मूल्य के भीतर बिना तराशे और अजड़ाऊ हीरों की पुन:पूर्ति की स्वीकृति केवल एन एम डी सी लि० के बंटन आदेश के माध्यम से ही दी जाएगी । लेकिन, कालम 4 में (सी) पर की मदों के मामले में, सीधे आयात की स्वीकृती दी जा सकती है ।" |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 211 | एस० 4<br>————————<br>कालम 5 | (4) पर की वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा बदला जाये:—<br>"अपरिष्कृत हीरों अजड़ाऊ या बिना तराशे, बहुमूल्य/माध्यम-बहुमूल्य पत्थर, अजड़ाऊ वास्तविक या संवर्द्धित (कल्चर्ड) मोती अजड़ाऊ के कालम 4 में संकेतित मूल्य सीमा के भीतर पुनः पूर्ति की स्वीकृति दी जाएगी, किन्तु केवल तब, जब निर्यात किए गए जवाहरातों में क्रमशः हीरों, बहुमूल्य या मध्यम बहुमूल्य पत्थरों और मोतियों को अन्तर्विष्ट किया गया था। ऐसे मामलों में, प्रत्येक अलग अलग संघटक के सम्बन्ध में, 50 प्रतिशत की अंकित मूल्य प्रतिबंधता लागू होगी। किन्तु जब जवाहरात इन मदों में से जैसे हीरों या बहुमूल्य पत्थरों/मध्यम बहुमूल्य पत्थरों या वास्तविक/संवर्द्धित मोतियों में केवल किसी एक को अन्तर्विष्ट करते हैं तो अंकित मूल्य प्रतिबन्धता लागू नहीं होगी। बिना तराशे और अजड़ाऊ हीरों की पुनःपूर्ति की स्वीकृति केवल एन एम डी सी के बंटन आदेश के माध्यम से ही दी जाएगी। जहां तक अन्य मदों का सम्बन्ध है, सीधे आयात की स्वीकृति दी जा सकती है।" |
| 213 | एस एस 1 से एस एस 4 तक<br>————————<br>कालम 5 | निम्नलिखित टिप्पणी को संख्या (8) के रूप में जोड़ा जाए:—<br>8. संख्या 4 की टिप्पणियों के अनुसार स्वीकृत सीमा तक बिना तराशे और अजड़ाऊ हीरों की पुनःपूर्ति केवल एन एम डी सी लि० के बंटन आदेश के माध्यम से होगी और न कि सीधे आयातों द्वारा लेकिन अन्य स्वीकार्य मदों के लिए सीधे आयात करने की स्वीकृति दी जा सकती है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | विशेष ध्यान दीजिए: | (1) ये संशोधन उन सभी निर्यातों, भुगतान के लिए लागू होंगे जो 1-10-1970 को या उसके बाद पूरा किया गया है।<br>(2) बिना तराशे और अजड़ाऊ हीरों के बंटन कार्य के लिए एन एम डी सी से अनुपलब्ध प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की स्थिति में, माल के सीधी आयात के लिए स्वीकार्य सीमा तक के लिए स्वीकृति दी जा सकती है। |

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970